कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्रीमती मोडीबाई | **विपक्षी** श्रीमती गेन्दीबाई व अन्य
किस्म मुकदमा धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम | **प्रकरण संख्या** 27/2023

कार्यवाही विवरण

23–12–2024

–::निर्णय::–

उपस्थितः श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता–प्रार्थीया
विपक्षीगण– एक पक्षीय

प्रार्थीया द्वारा आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 सी.पी.सी. व धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की संयुक्त आराजीयात की कृषि भूमि मौजा एवं पटवार हल्का ईसरवास तहसील सलूम्बर मे स्थित है जिसकी जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मे खाता सं. 45–42 कुल किता 16 कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर है जिसमे प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा होकर शेष हिस्से पर विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है व उक्त आराजीयात का विधिवत रूप से मौके पर बंटवाडा नही हुआ है व प्रार्थीया भी अपने हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग वर्षो से करती आ रही है। विपक्षीगण सभी प्रार्थीया के हिस्से की कृषि भूमि हडपने की गरज से आये दिन लडाई झगडा करते है व जबरन प्रार्थीया के हिस्से की भूमि की जुताई कर देते है। इसलिये प्रार्थीयों को विपक्षीगण के विरूद्ध पांती बंटवाडे के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीगण के विरूद्ध इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे कि वादग्रस्त भूमि पर विपक्षीगण प्रार्थीया के हिस्से की कृषि भूमि मे काश्त आदि से न तो स्वयं रोके न ही किसी प्रकार का दखलन्दाजी करे।

प्रार्थना–पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। विपक्षीगण बावजुद सूचना के न्यायालय मे हाजिर नही आये नही कोई वकील कर जवाब पेश किया जिससे आदेशिका दिनांक 03–07–2024 को विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली मे अधिवक्ता प्रार्थीया की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए विपक्षीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया व वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की भूमि मे सहखातेदार दर्ज अंकित है। वादग्रस्त भूमि का सहखातेदारो मध्य विधिवत पांती बंटवाडा नही हुआ है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि मौजा एवं पटवार हल्का ईसरवास तहसील सलूम्बर जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मे खाता सं. 45–42 कुल किता 16 कुल रकबा 2.63 हैक्टेयर वादग्रस्त भूमि का विधिवत पांती बंटवाडा एवं मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीया के हिस्से कि आराजी में बेजा मजाहमत व दंखलंदाजी न करे तथा मौके कि यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

आदेश दिनांक 23–12–2024 को खुंल न्यायालय मे सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर